Fax Message No. 5505 /ICAR HQ
Dated 10/07/2012
No. of Pages 29

आभाअनुप
ICAR

INDEX No 3/2 /6/12 CDN

INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISHI BHAWAN: NEW DELHI

F. No. 21- 24 /2012-CDN Date the 10th July, 2012

ENDORSEMENT

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Udyog Bhawaan, Government of India, New Delhi has issued the D.O.No. 21(1)/2011-M.A. dated 25.4.2012 regarding – New Public Procurement Policy for Micro & Small Enterprises (MSEs) under Section 11 of Micro, small and Medium Enterprises Development (MSMED Act 2006). The above mentioned D.O. is being uploaded on the ICAR Web-Site www.icar.org.in for information and further compliance of the instructions.

The Action Taken Report on the above may be furnished to Genl. Admn. Section, ICAR .

(J.N. Bhagat)
Under Secretary (GAC)

DISTRIBUTION :-

1. All Directors/Project Directors of all ICAR Institutes/National Research Centres/Project Coordinators/Coordinated Research Projects/Zonal Project Coordinators/Bureaux
2. Sr.PPS to DG, ICAR/PPS to Secretary, ICAR/PPS to FA (DARE).
3. Chairman ASRB/ND, NAIP/ Project Director(DKMA), Pusa, New Delhi.
4. Shri Hans Raj, ISO, (DKMA) KAB-I for putting in the ICAR Web-Site.
5. All officers/sections at ICAR Krishi Bhawan/KAB – I & II.
6. Secy. (Staff Side), CJSC, National Research Centre on Meat, Chengicherla, Hyderabad – 500 039
7. Secy. (Staff Side), HJSC, ICAR, KAB-II
8. Copy for F.No. 10-1/2011-CDN
8. Guard file/Spare copies

MOST IMMEDIATE

F.No.30-45/2012-Estt.
Government of India
Ministry of Agriculture
Department of Agricultural Research and Education
****

Krishi Bhawan, New Delhi.
Dated the 8th May, 2012

To

1. Director (GA)
   ICAR,
   Krishi Bhawan, New Delhi

2. Vice Chancellor,
   Central Agricultural University,
   Imphal.

Subject : **New Public Procurement Policy for Micro & Small Enterprises (MSEs) under Section 11 of Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED Act 2006.**

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of a D.O. letter No.21(1)/2011-M.A. dated 25th April, 2012 received from Secretary, Ministry of Micro, small and Medium Enterprises alongwith a notification on the above mentioned subject for kind information and compliance of instructions

Yours faithfully,

(Vijay Singh)
Under Secretary to the Govt. of India

Encl: As above

D.S.(GAC) Pl. see also

10/6

Discussed

U.S.(GAC) 11/6/12

SO (Cdn)

16/5

— 2 -

रा. कृ. माथुर, भा.प्र.से.
सचिव, भारत सरकार
R. K. MATHUR I.A.S.
Secretary to the Government of India

सत्यमेव जयते

MSME
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
OUR STRENGTH • हमारी शक्ति

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110 011
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
UDYOG BHAWAN, NEW DELHI-110 011
Tel. : +91-11-23062107 Fax : 23063045

D.O. 21(1)/2011-M.A.
April 25, 2012

Dear Shri Ayyappan,

In exercise of the powers conferred in section 11 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act 2006, the Government has notified a new Public Procurement Policy for Micro & Small Enterprises (MSEs) (copy enclosed) effective from 1st April, 2012. The Policy mandates that 20% of procurement of annual requirement of goods and services by all Central Ministries / Public Sector Undertakings will be from the micro and small enterprises. Government has also earmarked a sub target of 4% procurement of goods & services, out of the 20%, from MSEs owned by SC/ST Entrepreneurs. The policy has a time frame of three years beginning 2012-13 for implementation after which it will become mandatory. It is expected that the policy will help to promote MSEs by improving their market access and competitiveness through increased participation by MSEs in Government purchases and encouraging linkages between MSEs and large enterprises.

2. In brief the Policy entails:

i) With effect from 2012-13 every Central Ministries/Departments/PSUs shall set an annual goal for procurement from the MSE sector at the beginning of the year, with the objective of achieving an overall procurement goal of minimum 20 per cent of the total annual purchases of the products or services produced or rendered by MSEs from the latter in a period of three years.

ii) Out of 20% target of annual procurement from MSEs, a sub-target of 4% (i.e., 20% out of 20%) will be earmarked for procurement from MSEs owned by SC/ST entrepreneurs. However, in the event of failure of such MSEs to participate in the tender process or meet the tender requirements and the L1 price, the 4% sub-target for procurement earmarked for MSEs owned by SC/ST entrepreneurs will be met from other MSEs.

iii) At the end of 3 years, (i.e. from 2015-16) the overall procurement goal of minimum 20% will be made mandatory. Non-conforming Departments will be required to provide reasons for the same to the Review Committee set up under the Policy.

Contd..2

Pl. put up
i) pl. send copy to ICAR/CAU for informn compliance of these instructions
ii) for nomination of nodal officer

— 3 —

D.O. 21(1)/2011-M.A.
April 25, 2012

iv) The participating MSEs in a tender, quoting price within the band of L1+15% may also be allowed to supply a portion of the requirement by bringing down their price to the L1 price, in a situation where L1 price is from someone other than an MSE. Such MSEs may be allowed to supply up to 20% of the total tendered value. In case of more than one such eligible MSE, the supply will be shared equally.

v) With effect from 2012-13, every Central Government Ministries/Departments/PSUs will report the goals set with respect to procurement to be met from MSEs and the achievement made thereto in their respective Annual Reports.

vi) The Central Ministries/Departments/Public Sector Undertakings will continue to procure 358 items from MSEs, which have been reserved for exclusive purchase from them (Details at Appendix of the Policy).

vii) For enhancing the participation of SCs/STs in the Government procurement, the Central Government Ministries/Departments/PSUs will take necessary steps including organizing special Vendor Development Programmes, Buyer-Seller Meets etc.

(viii) To reduce transaction cost of doing business, Micro and Small Enterprises shall be facilitated by providing them tender sets free of cost, exempting Micro and Small Enterprises from payment of earnest money, adopting e-procurement to bring in transparency in tendering process and setting up a Grievance Cell in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

ix) A 'Grievance Cell' would be set up in the Ministry of MSME for redressing the grievances of MSEs in Government procurement. In addition, a Review Committee under my Chairmanship shall periodically review implementation of this policy.

3. I would request you to kindly issue necessary instructions to your departments / statutory bodies / PSUs for taking necessary steps to implement this policy. In particular, following may be considered:

(a) Preparation of an Annual Procurement Plan 2012-13 for purchases and uploading the same on official website, so that Micro and Small Enterprises may get advance information about requirement of procurement agencies.

Contd..3

D.O. 21(1)/2011-M.A.
April 25, 2012

(b) Appointment of a nodal officer not below the rank of Joint Secretary for implementation of the Policy and for redressing grievances.

4. I look forward to your help and cooperation in effective implementation of the policy.

With regards,

Yours sincerely,

(R.K.Mathur)

Encl: As above

Dr. S. Ayyappan,
Secretary,
Department of Agricultural Research and Education,
Room No. 105, Krishi Bhawan,
New Delhi

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26, 2012/चैत्र 6, 1934
No. 503] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 2012/CHAITRA 6, 1934

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2012

का.आ. 581(अ).—क्योंकि, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने उत्पादों या सेवाओं के वार्षिक मूल्य का कम से कम 20 प्रतिशत सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उपाप्त करेंगे;

और, प्रतिस्पर्धा के साथ सिद्धांतों, साधार उपापन व्यवहारों पर आधारित तथा किसी प्रणाली के अनुसरण में माल या सेवाओं के प्रदाय के लिए, आदेशों के निष्पादन पर आधारित सार्वजनिक उपापन नीति, स्पष्ट, साम्यपूर्ण, पारदर्शी प्रतियोगी ओर मूल्य प्रमावी होगी; और

और सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति मजबूत अधिप्राप्ति व्यवहारों और आदेशों का पालन करते हुए आपूर्तिकर्ताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को बरकरार रखने के केंद्रीय सिद्धांतों और एक निष्पक्ष, समान, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लागत सक्षम व्यवस्था के अनुरूप उत्पादों/सेवाओं की आपूर्ति के आदेशों के क्रियान्वयन पर आधारित है;

और चूंकि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्धन और विकास सुकर बनाने करने के लिए, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार समय-समय पर यथास्थिति, आदेश द्वारा अपने मंत्रालयों या विभागों, पब्लिक सेक्टर अधिमानी, या उसके सहायता प्राप्त संस्थानों और यथास्थिति, के उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित और प्रदत्त उत्पादों और सेवाओं के उपापन के संबंध में अधिमानी नीतियों को अधिसूचित कर सकेगी।

अतः, अब, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम (एमएसएमईडी), 2006 की धारा 11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, अपने मंत्रालयों या विभागों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित और प्रदत्त उत्पादों और सेवाओं के उपापन के संबंध में सार्वजनिक उपापन नीति (जिसे इसमें इसके पश्यात कहा गया है) को अधिसूचित करती है।

2 **संक्षिप्त नाम और आरंभ**

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक उपापन नीति आदेश, 2012' है ।

(2) ये 1 अप्रैल 2012 से लागू होगी।

3. **सूक्ष्म और लघु उद्यम से आज्ञापक उपापन** - (1) प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय या विभाग या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम को वित्तीय वर्ष 2012-13 और उसके पश्चात से तीन वर्षों की अवधि में सूक्ष्म और लघु उद्यम द्वारा उत्पादित या प्रदत्त उत्पादों या सेवाओं की कुल वार्षिक खरीदों के न्यूनतम 20 प्रतिशत का कुल उपापन प्राप्त करने के उद्देश्य से सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उपापन का एक वार्षिक लक्ष्य नियत करेगा।

(2) उपापन के वार्षिक लक्ष्य के अंतर्गत बड़े उद्यमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा गठित सूक्ष्म और लघु उद्यम के संघ की उप-संविदाएं भी हैं।

(3) तीन वर्षों की अवधि के पश्चात अर्थात् 1 अप्रैल, 2015 से न्यूनतम 20 प्रतिशत का कुल उपापन लक्ष्य आज्ञापक होगा।

(4) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम, जो वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति करने में असफल रहते हैं, को इस नीति के अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) की अध्यक्षता में गठित पुनर्विलोकन समिति के समक्ष इसके उचित कारण सिद्ध करने होंगे।

4. **अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए विशेष उपबंध-** सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वार्षिक उपापन के 20 प्रतिशल लक्ष्य में से, 20 प्रतिशत का एक उप-लक्ष्य (अर्थात 20 प्रतिशत में से 4 प्रतिशत) अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों के सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद के लिए चिह्नित होंगे। परंतु, ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या निविदा टेंडर की अपेक्षाओं को पूरा करने और एल-1 मूल्य तक पहुंचने में असफल रहने की दशा में अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों से खरीद के लिए चिह्नित 4 प्रतिशत का उप-लक्ष्य अन्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों से पूरा करना होगा।

5. **वार्षिक रिपोर्ट में लक्ष्यों की रिपोर्टिंग** - (1) सूक्ष्म और लघु उद्यम से सरकारी उपापन के आंकड़े इस नीति के सशक्तीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय या विभाग या पब्लिक सेक्टर उपक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यम से किए जाने वाले उपापन के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों और उसमें की गई उपलब्धि की सूचना अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्ट में देगें।

(2) वार्षिक रिपोर्टसूचना सूक्ष्म और लघु उद्यम विभिन्न मंत्रालयों या विभागों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम को प्रदान किया जा रहा समर्थन की बेहतर समझ में सुकर बनाएगा।

6. **निविदा में मूल्य कोटेशन** - (1) टेंडर में, सहभागी सूक्ष्म और लघु उद्यम जिसने एल1+15 प्रतिशत के मूल्य बैंड के भीतर निविदा मूल्य उद्धत करेंगे उन्हें ऐसी परिस्थिति में जहां एल1 मूल्य सूक्ष्म और लघु उद्यम के अतिरिक्त किसी और से हो, वहां उनके मूल्य को एल1 मूल्य

के स्तर पर लाकर एक भाग की आपूर्ति की अपेक्षाओं की अनुमति भी दी जाएगी और ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्यम को कुल निविदा मूल्य के 20 प्रतिशत तक की आपूर्ति की अनुज्ञात होगी।

(2) ऐसे एक से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यम के मामले में आपूर्ति को आनुपातिक रूप से बांटा (निविदा की गई मात्रा तक) जाएगा।

7. सूक्ष्म और लघु उद्यम विक्रेताओं का विकास - केंद्रीय मंत्रालय या विभाग या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम, विक्रेता विकास कार्यक्रम/क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करते हुए और आवधिक आवश्यकताओं के संबंध में एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के साथ दर अनुबंध करते हुए उपयुक्त विक्रेता विकसित करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।

8. वेबसाइट पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उपापन के लिए वार्षिक योजना - मंत्रालय या विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्रय के लिए वार्षिक उपापन योजना भी तैयार करेंगे और उसे अपने शासकीय वेबसाइट पर अपलोड भी करेंगे ताकि सूक्ष्म और लघु उद्यम उपापन अभिकरणों की अपेक्षाओं के बारे में अग्रिम सूचना प्राप्त कर सकें।

9. सरकारी उपापन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों, की भागीदारी बढ़ाना - सरकारी उपापन में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निम्नलिखित कदम उठाएंगे:

(क) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विभागों/पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों द्वारा विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम/क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की जाएंगी।

(ख) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अधिक से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सम्मिलित करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा संघ निर्माण की उसकी योजनाओं के अधीन पहुंच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे; और

(ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम अपने एकल बिंदु रजिस्ट्रीकरण योजना के अधीन अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष खिड़की खोलेगा।

10. संव्यवहार लागत में कमी - व्यवसाय चलाने की संव्यवहार लागत में कमी लाने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को किसी लागत के बिना निविदा सेट उपलब्ध कराके, अग्रिम धन के भुगतान से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छूट देकर, निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ई-उपापन अपनाकर तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करके सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

11. उपापन के लिए विशिष्ट मदों का आरक्षण - विशिष्टतया ग्रामीण क्षेत्रों में, देश में उद्यमों को एक व्यापक फैलाव को समर्थ बनाने के लिए, केंद्रीय मंत्रालय या विभाग या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 358 मदों (अनुबंध-ख)का उपापन जारी रखेगा, जो उनसे

विशिष्ट खरीद के लिए आरक्षित किया गया है। यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों जिसके अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग भी है, के संवर्धन और विकास में मदद मिलेगी, जो देश में समग्र विकास को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

12. पुनर्विलोकन समिति - (1) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक उपापन नीति की मानीटरी और पुनर्विलोकन के लिए सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की अध्यक्षता के अधीन आदेश सं 21(1)/2007-एमए तारीख 21 जून 2010 के द्वारा (उपाबंध) एक समिति गठित होगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा समिति की संरचना में की जब और जैसे अपेक्षित हो, पुनर्विलोक / उपारिक्त करेगा।

(2) यह समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, एक अनवरत आधार पर सूक्ष्म और लघु उद्यम से अनन्य खरीद के लिए आरक्षित 358 मदों की सूची पुनर्विलोकन करेगी, मामला-दर-मामला आधार पर 20 प्रतिशत लक्ष्य से छूट के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों अथवा विभागों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अनुरोधों पर विचार करेगी और नीति के अधीन उपलब्धियों की मानीटरी करेगी।

13. शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना - इसके अतिरिक्त, सरकारी उपापन में सूक्ष्म और लघु उद्यम की शिकायतों के प्रतितोष के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में एक 'शिकायत प्रकोष्ठ' गठित किया जाएगा। इस प्रकोष्ठ में संबंधित विभागों / एजेंसियों के सामने सूक्ष्म और लघु उद्यम द्वारा उठाए गए सरकारी उपापन संबंधी मुद्दे उठाए जाएंगे, जिसके अंतर्गतें सरकारी विभागों / एजेंसियों द्वारा निविदाओं में अनुचित शर्तों को लगाना भी है, जो सूक्ष्म और लघु उद्यम को अलाभप्रदा स्थिति में रखते हैं।

14. रक्षा उपापन के लिए विशेष प्रावधान - (1) रक्षा मंत्रालय के लिए हेतु 20 प्रतिशत के लक्ष्य की गणना में रक्षा शस्त्रीकरण की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए उनके आयात को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रक्षा उपकरणों जैसे शस्त्र प्रणालियां, प्रक्षेपास्त्र, आदि आरक्षण की ऐसी नीति के अधीन नहीं होगी।

(2) नीति के अधीन नियत लक्ष्यों का मानीटरी जहां तक रक्षा सेक्टर का संबंध है, रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वयं उनके द्वारा स्थापित उपयुक्त प्रक्रियाओं के अनुसरण की जाएगी।

15. कठिनाई का निवारण - उपरोक्त नीति के कार्यान्वयन के दौरान अनुभव की गई किसी कठिनाई के संबंध सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा उपयुक्त प्रेस रिलीज के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया जाएगा और जिसे पब्लिक डोमिन में रखा जाएगा।

[फा.सं. 21(1)/2011 एमए]

अमरेन्द्र सिन्हा, अपर सचिव और विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)

58

अनुबंध

सं. 21(1)/2007-एमए
भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
विकास आयुक्त(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)का कार्यालय
******

ए विंग, 7 वां तल, निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110108
तारीख: 21 जून, 2010

आदेश

विषय: सूक्ष्म और लघु उद्यमों (सूक्ष्म और लघु उद्यम) के लिए सार्वजनिक उपापन नीति के अधीन समिति का गठन

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (सूक्ष्म और लघु उद्यम) के लिए नई सार्वजनिक उपापन नीति के लम्बित अनुमोदन के अनुसरण में चयनित केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों के संबंध में प्रस्तावित नीति के कुछ उपबंधों के लागू करने पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति की अध्यक्षता सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

2. समिति की संरचना निम्नलिखित होगी:

(i) सचिव, सू. ल. और म. उद्यम मंत्रालय : अध्यक्ष
(ii) सचिव, योजना आयोग : सदस्य
(iii) सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग : सदस्य
(iv) महानिदेशक (आपूर्ति और निपटान), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय : सदस्य
(v) अपर सचिव एवं विकास आयुक्त(सू. ल. म. उद्यम) : सदस्य-सचिव

3. समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

(i) मामला-दर-मामला आधार पर 20 प्रतिशत के लक्ष्य से छूट देने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अनुरोधों पर विचार करना;

(ii) केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर सूक्ष्म और लघु उद्यम से विशिष्ट खरीद के लिए आरक्षित 358 मदों की सूची (परिशिष्ट के अनुसार) की समीक्षा;

(iii) सरकारी विभागों / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा निकाली गई निविदाओं में अनुचित शर्तें लगाने सहित सरकारी उपापन के संबंध में सूक्ष्म और लघु उद्यम से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा; और

(iv) केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम से की जाने वाले उपापनों को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले विशेष उपायों का सुझाव देना।

4. समिति केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के किन्हीं अन्य मंत्रालयों / विभागों को सम्मिलित कर सकती है या बैठकों में किसी अन्य विशेषज्ञ / व्यक्ति, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित हो, को जब भी आवश्यक हो आमंत्रित कर सकती है।

5. विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय इस समिति को सचिवीय समर्थन उपलब्ध करेगा।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(प्रवीण महतो)
अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार
दूरभाष: 23062230, फैक्स: 23061611

परिशिष्ट

हस्तशिल्प क्षेत्र सहित लघु उद्योग इकाइयों से खरीद के लिए आरक्षित मदों की सूची

क्रम सं. **मद विवरण**

1. ए ए सी/और ए सी एस आर कन्डक्टर 19 स्ट्रैंड तक
2. एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स
   क. हस्तप्रचालित औजार और उपकरण
   ख. पशुचालित उपकरण
3. एयर/रूम कूलर
4. एल्यूमिनियम बिल्डर्स हार्डवेयर
5. एम्बुलेंस स्ट्रेचर
6. एममीटर्स / ओहम मीटर / वोल्ट मीटर(क्लास1 परिशुद्वता तक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक)
7. एंकलेट वेब खाकी
8. ऑगुर (कारपेंटर्स)
9. आटोमोबाइल हैड लाईट एसेम्बली
10. बैज क्लाथ कढ़ाई और मेटल के
11. लेदर, काटन, कैनवस और जूट इत्यादि के बने सभी प्रकार के बैग किट बैग, मेल बैग, स्लीपिंग बैग और वाटर प्रूफ बैग सहित
12. बैन्डेज क्लाथ
13. बारबेड वायर
14. बास्केट केन (राज्य वन निगम और राज्य हस्तशिल्प निगम से भी खरीद की जा सकती है)
15. बाथ टब
16. बैटरी चार्जर
17. बैटरी एलीमिनेटर
18. बीम स्केल (1.5 टन तक)
19. बेल्ट लैदर एंड स्ट्रैप्स
20. बैन्च वाइसिस
21. बिटुमिनीअस पेंटस
22. ब्लोटिंग पेपर

23.बोल्ट्स एंड नटस
24.बोल्ट्स स्लाईडिंग
25.बोन मील
26.बूट पालिश
27.कैनवस जूतों सहित सभी प्रकार के बूटस् एंड शूज
28.बाउंल
29.लैदर बाक्स
30.मैटल के बने बाक्स
31.ब्रासिस
32.ब्राकेटस, रेलवे में प्रयुक्त के अलावा
33.ब्रास वायर
34.ब्रीफकेस (मोल्डेड लगेज के अलावा)
35.झाडू
36.सभी प्रकार के ब्रश
37.सभी प्रकार की बाल्टियां
38.सभी प्रकार के बटन
39.केंडल वैक्स कैरिज
40.केन वाल्व/स्टोक वैल्वस (केवल वॉटर फिटिंग के लिए)
41.मैटालिक कैन (दूध और मापने के लिए)
42.कैनवस प्रोडक्टस
(क) वाटर प्रूफ डेलिवर बैग, स्पे. नं: आई एस-1422/70
(ख) बोनट कवर और रेडियटर स्पे.ट्रे एल वी 7/ एन एस एन / आई ए / 130295
43.सूती और ऊनी कैप्स
44.वाटरप्रूफ कैप्स
45.कैस्टर आयल
46.सीलिंग रोसिस 15 एम्पी तक
47.सेन्ट्रीफुगल स्टील प्लेट ब्लोवर्स
48.सेन्ट्रीफुगल पंप
49.चाफ कटर ब्लेड
50.चेन लार्शिग
51.चप्पल एंड सेंडिल
52.चामोइस लैदर
53. चोक्स फोर लाईट फीटिंग
54.क्रोम टैन्ड लैवर (सेमी-फिनिश्ड भैंस और गाय)
55.सरक्लिप्स
56.क्लों बार्स एंड वायर्स
57.क्लीनिंग पाउडर
58.क्लीनिकल थर्मोमीटर्स
59.क्लाथ कवर्स

60.क्लाथ जाकोनट
61.क्लाथ स्पोन्ज
62.कॅयर फाइबर एंड कॅयर यार्न
63.कॅयर मैटरैस कुशन्स एंड मैटिंग
64.कॅयर रोप हॅसरलेड
65.कम्युनिटी रेडियो रिसीवर
66.,कन्डुट पाईप्स
67.कॉपर नेल
68.कॉपर नैपथीनेट
69.कॉपर सलफेट
70.कॉर्ड टवीन मेकर
71.कॉरडेज अदर्स
72.कोरूगेटिड पेपर बोर्ड एंड बाक्स
73.कॉटन एबसोरबेंट
74.कॉटन बेल्टस
75.कॉटन कैरियर्स
76.कॉटन केसिस
77.कॉटन कार्ड टवीन
78.कॉटन हौजरी
79.कॉटन पैक्स
80.कॉटन पाउच
81.कॉटन रोप
82.कॉटन सिंगलेट
83.कॉटन स्लींग
84.कॉटन स्ट्रैप्स
85.कॉटन टैप्स एंड लेसिस
86.कॉटन वूल (नॉन एब्जार्बेंट)
87.क्रेट वुडन एंड प्लास्टिक
88.(क)क्रूसीबल्स 200 नं. तक
(ख)क्रूसीबल्स ग्रेफाईट 500 नं. तक
(ग)अन्य क्रूसीबल्स 30 कि.ग्रा.तक
89.कम्बल एंड रजाईयां
90.करटेन्स मोसकीटो
91.कटर्स
92.डीबूटी फिथालेट
93.डीजल इंजन 15 एच पी तक
94.डाइमेथाइल फिथालेट
95.डिसइंफेक्टैन्ट फलूड
96.डिस्ट्रीब्यूटिशन बोर्ड 15 एम्पी तक

97. घरेलू बिजली के उपकरण (बीआईएस मानकों के अनुसार)- बिजली का टोस्टर,प्रैस, हॉट प्लेटस, मिक्सर ग्राइंडर रूम हीटर, कनवैक्टर्स एंड ओवन
98. घरेलू पी वी सी केबल्स एंड वायर्स (अल्यूमिनियम)
निर्धारित बीआईएस मानकों के अनुरूप और 10.00 एमएम स्क्वायर नॉमिनल क्रास सेक्शन तक
99. ड्राईंग एंड मैथमैटिकल्स इंस्ट्रूमेंटस
100. ड्रम्स एंड बैरल
101. डस्ट बिन
102. डस्ट शील्ड लैदर
103. सभी प्रकार के कॉटन डस्टर, खादी में आवश्यक मदों को छोड़कर
104. डाईज
(क)एजो डाई(डायरैक्ट और एसिड)
(ख) बेसिक डाई
105. बिजली की कॉल बैल / बजर / डोर बैल
106. इलैक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन
107. इलैक्ट्रिक ट्रांसमीशन लाईन हार्डवेयर मदें जैसे कि स्टील क्रास बार्स, क्रास आर्म्स क्लैम्पस आर्थिंग हार्न, ब्रैकेट्स, आद
108. इलैक्ट्रोनिक डोर बैल
109. एमरजेंसी लाईट (रिचार्ज होने वाली)
110. इनेमल वायर्स और इनेमल यूटेंसिल
111. इक्यूपमेंट कैमूफ्लेज बम्बू सपोर्ट
112. एक्जास्ट मफलर
113. एक्सपेंडिड मेटल
114. आईलेट्स
115. फिल्म पॉलीथीन-वाइड विड्थ फिल्म सहित
116. फिल्म स्पूल्स एंड कैन्स
117. अग्नि शामक (बाल टाइप)
118. फूट पाउडर
119. फ्रेन्च पॉलिश
120. फानैल्स
121. फयूज कट आउट
122. फ्यूज यूनिट
123. गारमेंटस (इंडियन आर्डनेन्स फैक्टरियों की आपूर्ति को छोड़कर)
124. गैस मेन्टल
125. गाउज क्लाथ
126. सभी प्रकार के गाउज सरजीकल
127. गामेल्स (तसला)
128. ग्लास एम्पुल्स
129. ग्लास एंड प्रेस्ड वेयर